रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 1
PART III—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 1986/पौष 20, 1907

No. 2] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 1986/PAUSA 20, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचनाएं

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1986

निर्देश सं. आई. ए. सी./एक्यू. 3/एस.आर.-3/4-85/1052बी.—अतः मुझे, सुनील चोपड़ा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन, सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 100,000 रु. से अधिक है और जिसकी खसरा संख्या 96, 130, 175, 94, 97, 129, 131, 132, 173, 175 है तथा जो गांव घिटोरानी, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अप्रैल 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन, या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री हरपाल सिंह, जगत सिंह
सपुत्र श्री फकीरा, गांव—घिटोरनी, तहसील—महरौली,
नई दिल्ली (अन्तरक)

2. श्री आनन्द लैंड एंड हाउसिंग (प्रा.) लिमिटेड
एन-3, एन डी एस ई-1,
नई दिल्ली (अन्तरिती)

3. श्री/श्रीमती/कुमारी..... (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

.....

.....

.....

4. श्री/श्रीमती/कुमारी..... (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, यहां अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कृषि भूमि खसरा नं. 96 (15 बिस्वे), 130 (3 बीघे व 4 बिस्वे), 175 (8 बिस्वे), खसरा नं 94 (2 बीघे व 9 बिस्वे), 97 (2 बीघे), 175 मिन (10 बिस्वे), खसरा नं. 129 (4 बीघा व 16 बिस्वे), खसरा नं. 131 (4 बीघे व 14 बिस्वे), खसरा नं. 131 मिन (16 बिस्वा), 175 (10 बिस्वे), खसरा नं. 132/1 (2 बीघा व 8 बिस्वे), 173/2 (2 बीघे व 8 बिस्वे) गांव-घिटोरनी, तहसील महरौली, नई दिल्ली ।

तारीख 3-1-1986

मोहर :

(जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE II

Notices Under Section 269D (I) of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961)

New Delhi, the 3rd January, 1986

Ref. No. IAC|Acq|-III|S.R-III|4-85|1052B.—**Whereas** I, Sunil Chopra, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000|- and bearing Kh. Nos. 96, 130, 175, 94, 97, 129, 131, 132, 173 situated at Village Ghitorni, Tehsil Mehrauli, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi on April, 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or this Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property by the Issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Harpal Singh, Jagat Singh, s|o. Fakira, Village Ghitorni, Tehsil Mehrauli, New Delhi, (Transferor)

(2) Shri Anand Land & Housing (P) Ltd., N-3, N.D.S.E.-I, New Delhi, (Transferee)

(3) Shri|Smt.|Km. ..... (Person (s) in occupation of the property)

(4) Shri|Smt.|Km. ..... (Person (s) whom the undersigned knows to be Interested in the property)

Objections, if any, to the acqisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later ;

(b) by any other person interested in the official Gazette ;

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

Agricultural land bearing Khasra No. 96 (15 biswas), 130 (3 bighas and 4 biswas), 175 (8 biswas) 131 Min (16 biswas), Khasra No. 94 (2 bighas), and 9 biswas, 97 (2 bighas), 175 min (10 biswas) Khasra No. 129 (4 bighas and 16 biswas), Khasra No. 131 (4 bighas and 14 biswas), 175 (10 biswas), Kharsa No. 132|1 (2 bighas and 8 biswas), 173|2 (2 bighas and 8 biswas) in village Ghitorni, Teshil Mehrauli, New Delhi.

Date : 3-1-1986

Seal :

*Strike off where not applicable.

निदेश सं. आई. ए. सी. एक्यू. 3/एस. आर.-3/4-85/1052 ए.—अतः, मुझे सुनील चोपड़ा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000 रु. से अधिक है और जिसकी खसरा संख्या 132(2), 133, 127, 128, 132/2, 173/1, 179/1, 172, 94, है यथा जो गांव घिटोरनी, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अप्रैल, 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन, या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती सरती पत्नी श्री भिकन तथा अन्य
निवासी, गांव—नाथुपुर,
नई दिल्ली (अन्तरक)

2. कुमारी निरूपम कोर
निवासी—एन-3, एन डी एस ई-1,
नई दिल्ली। (अन्तरिती)

3. श्री/श्रीमती/कुमारी..... (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. श्री/श्रीमती/कुमारी..... (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप,

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा,

अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि खसरा नं. 132(2) (1 बीघा व 8 बिस्वे), 133 मिन (4 बीघे), खसरा नं. 127(7 बिस्वे), 128/(3 बीघा व 4 बिस्वे), 132/2 (1 बीघा), खसरा नं. 173/1 (2 बीघे व 8 बिस्वे), 179/1 (2 बीघे व 10 बिस्वे), खसरा नं. 133 मिन (6 बिस्वे), 172 (4 बीघे व 16 बिस्वे), खसरा नं. 127 मिन (0 बिस्वे) 94 (4 बीघे व 14 बिस्वे), गांव-घिटोरनी, तहसील मेहरौली, नई दिल्ली

तारीख 3-1-1986

सुनील चोपड़ा, सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, दिल्ली, नई दिल्ली

मोहर :

(जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

Ref. No. IAC|Acq-III|SR-III|4-85|1052A.—Whereas I, Sunil Chopra, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000|- and bearing Khasra No. 132|2, 133, 127, 128, 132|2, 173|1, 179|1 situated at 172, in Village Ghitorni, Tesnil Mehrauli, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi, on April, 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and transferee(s) has not been truly stated in the said Instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or this Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property by the Issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri|Smt.|Km. Smt. Sarti w|o. Bhikan, (2) Smt. Godoori w|s Likhi, (3) Batasi w|o Umrao, (4) Saroopa, (5) Hansa, (6) Ram Nath, (7) Girdhari sons of Mam Chand, (8) Jagmali w|o Hukam Singh, (9) Sarbati w|o Des Raj, (10) Ramkali w|o Daya Chand, (11) Prem w|o Rampal, (12) Kamala w|o Bharat Ram, r|o Village Nathupur, Gurgaon, Haryana)
(Transferor)

(2) Shri|Smt.|Kum. Smt. Noorupam Kaur w|o Harinder Singh Anand r|o N-3, N.D.S.E.I, New Delhi (Transferee) (1052A)

(3) Shri|Smt.|Kum.....
(Person (s) in occupation of the property)

(4) Shri|Smt.|Km. ..... (Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later ;

(b) by any other person interested in the official Gazette ;

Explanation:—The terms and expressions used herein as are Defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

Agricultural land bearing Khasra No. 132|2 (1 bigha and 8 biswas) 133 min (4 bighas), Khasra No. 127 (7 biswas), 128 (3 bighas & 14 biswas), 132|2, (1 bigha) Khasra No. 173|1 (2 bighas and 8 biswas), 179|1 (2 bighas and 10 biswas), Khasra No. 133 min (16 biswas) 172 (4 bighas and 16 biswas), Khasra No. 127 min (10 biswas), 98 (4 bighas and 14 biswas) in Village Ghitorni. Teshil Mehrauli, New Delhi.

Date : 3-1-1986

Seal :

*Strike off where not applicable.

SUNIL CHOPRA, Competent Authority
(Inspecting Assistant Commissioner of Income tax)
Acquisition Range III, Delhi|New Delhi

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986